भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1442
बुधवार, 02 अगस्त, 2023 (श्रावण 11,1945(शक)) को उत्तरार्थ

निवेशकों को पुनर्भुगतान करने के लिए सहारा-सेबी फंड से निकासी

1442 **श्री सुशील कुमार मोदीः**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) सहारा समूह द्वारा संचालित चार बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के निवेशकों को पुनर्भुगतान करने के लिए सहारा-सेबी फंड से कितनी राशि निकालने की अनुमति दी गई है;

(ख) सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी से कितनी राशि निकालकर सहारा-सेबी रिफंड खाते में जमा की गई थी;

(ग) सहारा समूहों से जुड़ी कितनी बहु- राज्यीय सहकारी समितियों ने कितने निवेशकों से कितनी राशि एकत्रित की और एम्बी वैली में कितनी राशि निवेश की गई; और

(घ) सहारा-सेबी फंड से जितनी राशि निकाली जाने की अनुमति है उससे कितने निवेशकों को कितनी धनराशि का पुनर्भुगतान किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री

(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक के समक्ष नवम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक आयोजित सुनवाई में सहारा समूह की चार सहकारी समितियों, अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद द्वारा बताया गया कि एम्बी वैली लि. में 62,643 करोड़ रुपए की धनराशि का निवेश किया गया है और 2,253 करोड़ रुपए सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. से निकाल कर सेबी के पास जमा किए गए हैं ।

रिट याचिका (सि.) सं. 191/2022- पिनाक पाणी मोहंती बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सहकारिता मंत्रालय द्वारा दाखिल IA सं. 56308/2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के माध्यम से आदेश दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेशित किया कि:

"(i) "सहारा-सेबी रिफंड खाता" में पड़े 24,979.67 करोड़ रुपए में से 5000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक के खाते में अंतरित किया जाए, जो इसका संवितरण सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध जमा के विरुद्ध करेंगे, जिसे प्रामाणिक जमाकर्ता को

सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान पर तथा उनके जमा के साक्ष्य और उनके दावों के साक्ष्य जमा करने पर उनके संबंधित बैंक खातों में सीधे जमा किया जाएगा ।

(ii) संवितरण का पर्यवेक्षण और निगरानी न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वारा श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता के समर्थ सहयोग से किया जाएगा,जिन्हे सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं की धनराशि का संवितरण में न्यायमूर्ति आर. सुभाष के साथ-साथ सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक की सहायता के लिए न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है । भुगतान की रीति और ढंग सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक द्वारा न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(iii) हम निदेश देते हैं कि उपर्युक्त 5000 करोड़ रुपए की राशि में से सहारा समूह की सहकारी समितियों के संबंधित प्रामाणिक जमाकर्ताओं को धनराशि का भुगतान अतिशीघ्र,परंतु आज से नौ महीने के भीतर किया जाए । तत्पश्चात्, शेष राशि को पुन: "सहारा-सेबी रिफंड खाता" में अंतरित कर दिया जाए ।"

उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, 'सहारा-सेबी रिफंड खाता' में से 5000 करोड़ रुपए का अंतरण सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक को कर दिया गया है । सहारा समूह की चार बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के दावे प्रस्तुत करने के लिए "सहारा-सीआरसीएस रिफंड पोर्टल" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल का विकास किया गया है । इस पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 18.07.2023 को किया गया, जिस पर सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in और https://mocrefund.crcs.gov.in. के माध्यम से पहुंचा जा सकता है ।

इन समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ता इस पोर्टल पर लॉगइन कर अपेक्षित दस्तावेज, अर्थात् उनके जमा व दावों के साक्ष्य को अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन के द्वारा अपने रिफंड के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं । ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दाखिल दावों पर ही विचार किया जाएगा । निधि की उपलब्धता के अध्यधीन, प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके द्वारा ऑनलाइन दावा दाखिल करने के 45 दिनों के भीतर उनके आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा जिसकी सूचना उन्हें एसएमएस/पोर्टल के माध्मय से दी जाएगी ।

*****